विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम गुरूवार के लिये निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-20 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
20 (क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डलों के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 10 अप्रैल, 2024 तक विभाग के अन्तर्गत महिलाओं को लाभ पहुँचाने के लिये क्या-क्या कार्य किये गये है और कितने लाभार्थी उक्त कार्य से लाभान्वित हुए है?	दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 10 अप्रैल, 2024 तक वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डलों में विभाग के अन्तर्गत महिलाओं को लाभ पहुँचाने के लिए किये गये कार्यों तथा लाभार्थियों का विवरण निम्नवत है:- **1- वाराणसी मण्डलः-** 1. पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल 1,84,017 महिला लाभार्थियों को रूपये 1000/- प्रतिमाह की दर से लाभान्वित किया गया। 2. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत कुल 52,104 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। 3. वन स्टॉप सेंटर योजनान्तर्गत कुल 1,810 केस प्राप्त हुए जिनमें पीड़िताओं को विभिन्न सहायता यथा-चिकित्सकीय, कानूनी, पुलिस सहायता आदि प्रदान करते हुए उनके प्रकरण निस्तारित किए गए। 4. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजनान्तर्गत कुल 41,74,387 बालिकाओं व महिलाओं को विभागीय योजनाओं के संबंध में जागरूक किया गया। 5. मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत संचालित राजकीय पश्चातवर्ती देखरेख संगठन (महिला) में औसतन 59 महिलाओं को आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तथा इन्हें आत्मनिर्भर बनाए जाने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 6. मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से लगभग 31,99,379 महिलाओं व बालिकाओं को उनके लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के सुविधाओं तथा कानूनों के बारे में जागरूक किया गया। 7. रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित 54 महिलाओं व बालिकाओं को क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रदान की गयी है। **2-मिर्जापुर मंण्डलः-** 1.पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल 71,512 महिला लाभार्थियों को रूपये 1000/- प्रतिमाह की दर से लाभान्वित किया गया। 2. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत कुल 31,104 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। 3. वन स्टॉप सेंटर योजनान्तर्गत कुल 776 केस प्राप्त हुए जिसमें पीड़िताओं को विभिन्न सहायता यथा-चिकित्सकीय, कानूनी, पुलिस सहायता आदि प्रदान करते हुए उनके प्रकरण निस्तारित किए गए। 4. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत कुल 31,104 महिलाओं व बालिकाओं को विभागीय योजनाओं एवं महिलाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के संबंध में जागरूक किया गया।

	5. हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजनान्तर्गत कुल 31,07,239 बालिकाओं व महिलाओं तथा मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से लगभग 25,29,816 महिलाओं व बालिकाओं को उनके लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं तथा उनसे संबंधित कानूनों के बारे में जागरूक किया गया। 6. रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित 17 महिलाओं व बालिकाओं को क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रदान की गयी है। **<u>3-आजमगढ मण्डलः-</u>** 1. पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल 1,37,889 महिला लाभार्थियों को रूपये 1000/- प्रतिमाह की दर से लाभान्वित किया गया। 2. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत कुल 21,555 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। 3. वन स्टॉप सेंटर योजनान्तर्गत कुल 1,467 केस प्राप्त हुए जिसमें पीड़िताओं को विभिन्न सहायता यथा-चिकित्सकीय, कानूनी, पुलिस सहायता आदि प्रदान करते हुए उनके प्रकरण निस्तारित किए गए। 4. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत कुल 16,17,783 महिलाओं व बालिकाओं को विभागीय योजनाओं एवं महिलाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के संबंध में जागरूक किया गया। 5. हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजनान्तर्गत कुल 16,42,750 बालिकाओं व महिलाओं एवं मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से लगभग 12,31,200 महिलाओं व बालिकाओं को उनके लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों तथा कानूनों के बारे में जागरूक किया गया। 6. रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित 66 महिलाओं व बालिकाओं को क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रदान की गयी है।
(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	आवश्यकता नहीं है।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

बेबी रानी मौर्य
मंत्री।